

निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये *500/- मात्र
निविदा(टेंडर) क्रमांक IIITDMJ/निविदा/2015-16/08/39 दिनांक 28/08/2015

IIITDMJ/निविदा/2015-16/08/39 of

28/08/2015

**सुरक्षा कर्मी (Security Guards) उपलब्ध कराने
के लिए निविदा दस्तावेज**

पं. द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पन
एवं विनिर्माण संस्थान
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया जिला जबलपुर.482005



निविदा प्रपत्र

क्रेता का नाम :मेसर्स.....

.....

.....

.....

निविदा प्रपत्र दिनांक 28/08/15 से दिनांक 24/09/15 तक कार्य समय के दौरान (कार्यालय दिवस में)
प्राप्त किए जा सकते हैं।

बोली पूर्व सम्मेलन की तिथि।

11./09/15 को दोपहर 4.00 बजे.

निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।

24./09/15 को दोपहर 3.00 बजे तक.

तकनीकी बोली खोले जाने की तिथि व समय।

24./09/15 को दोपहर 4.00 बजे.

इसमें कुल 09 पृष्ठ है. यह निविदा प्रपत्र हस्तांतरणीय नहीं है।

* पीडीपीएम,आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में आहरित जबलपुर में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट द्वारा।

पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर
डुमना एयरपोर्ट रोड, पोस्ट खमरिया, जबलपुर-482005

निविदा हेतु शर्तें एवं निबंधन (Terms & Conditions of the Tender)

शर्तों एवं निबंधनों की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप एकमेव स्वामी (Sole Proprietor) या उसकी ओर से उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर कर निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करें)

1. निविदा दो भागों में, अलग-अलग सीलबंद लिफाफों 'ए' एवं 'बी' में प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (ए) प्रथम लिफाफा 'ए' में तकनीकी विवरण होना चाहिये :-
इस लिफाफे 'ए' में निम्न दस्तावेज होने चाहिये :-
 - i) कंपनी/फर्म का पंजीयन प्रमाणपत्र।
 - ii) न्यूनतम 80 कर्मचारियों हेतु श्रम अनुज्ञप्ति (Labour Licence)
 - iii) कर्मचारी भविष्यनिधि आयुक्त कार्यालय से पंजीयन (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)
 - iv) सेवा कर (Service Tax) पंजीयन नंबर (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें।)
 - v) पिछले 3 वित्त वर्षों में न्यूनतम 80 कर्मचारियों को नियोजित करने का अनुभव प्रमाणपत्र।
 - vi) औसत आधार पर पिछले 3 वर्षों का वार्षिक लेनदेन (Annual Turnover) न्यूनतम रु0 2.00 करोड़ (रुपये दो करोड़ मात्र) होने बाबत अंकेक्षित (Audited) विवरण।
 - vii) पैन कार्ड की प्रति एवं पिछले 3 वित्त वर्षों हेतु आयकर विवरणियों की प्रति।
 - viii) निजी सुरक्षा एजेंसीज अधिनियम 2005 के अंतर्गत वैध अनुज्ञप्ति की प्रति।
 - ix) निविदा की शर्तें एवं निबंधन, जो सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षरित एवं स्टैपड हो।
 - x) तकनीकी बोली लिफाफे में, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम जबलपुर के पक्ष में अमानत जमा राशि (EMD) रु0 80,000/- (रुपये अस्सी हजार मात्र) का ड्राफ्ट, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ अमानत जमा राशि संलग्न न होने पर, तकनीकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त/अस्वीकृत कर दी जाएगी।
 - xi) तकनीकी बोली लिफाफे में, पीडीपीएम, आईआईआईटीडीएम, जबलपुर के पक्ष में निविदा शुल्क (Tender Fees) रु0 500/- (रुपये पांच सौ मात्र) का ड्राफ्ट, जो जबलपुर में भुगतान योग्य हो, संलग्न होना चाहिये। तकनीकी बोली के साथ निविदा शुल्क संलग्न न होने पर, तकनीकी बोली सरसरी तौर पर ही निरस्त /अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(बी) दूसरे लिफाफा 'बी' में वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) विवरण होना चाहिये:-

i) दूसरे लिफाफे 'बी' में केवल वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) प्रस्तुत की जाएगी। केवल उन्हीं निविदाकारों की वित्तीय बोली (दर बोली) (Price Bid) खोली जाएगी, जो तकनीकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों की छोटी सूची (Short List) में शामिल हो। दूसरे लिफाफे के खुलने की तिथि, समय व स्थान बाबत जानकारी तकनीकी बोली में पात्र पाए गए निविदाकारों को संस्थान द्वारा डाक/ईमेल/फैक्स के माध्यम से भेजी जाएगी।

ii) एजेंसी के सेवा प्रभार, (Service Charges) तैनात किए गए कर्मचारियों को (मासिक आधार पर) भुगतान की जाने वाली कुल मजदूरी के प्रतिशत में स्पष्ट रूप से लिखे जाएं।

iii) बिलों की राशि पर सेवा कर (Service Tax) का भुगतान लागू दरों के अनुसार किया जाएगा अतः निविदा में, सेवा कर बाबत कोई दरें लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।

2. आवश्यकता : संस्थान की आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों की संभावित संख्या निम्नानुसार होगी:-

(ए) सुरक्षा निरीक्षक (Security Supervisors)	03 मानव दिवस (मानव दिवस/दिन) अति कुशल (Highly Skilled)
(बी) सुरक्षा कर्मी (Un armed)	68 मानव दिवस (मानव दिवस/दिन)
(सी) महिला सुरक्षा कर्मी	03 मानव दिवस(मानव दिवस/दिन)
(डी) हथियारबंद सुरक्षा कर्मी (Armed Guards)	05 मानव दिवस(मानव दिवस/दिन)
(ई) संभाषणयंत्र/पारेषण सेटस् (Walkie-Talkie/Transmisson Sets)	10 (चौबीसों घंटे चालू)
(एफ) अच्छी स्थिति में वाहन (SUV) (चालक के साथ)	01 (ड्यूटी वाहन का उपयोग आवश्यकता के अनुरूप तथा संस्थान परिसर में 24 घंटे उपलब्धता के साथ)

नोट: -

1. एक मानव दिवस का अर्थ है - 08 घंटे की एक शिफ्ट ड्यूटी पर 01 व्यक्ति
2. यहां बताई गई आवश्यकता, केवल संभावित आवश्यकता है जो संस्थान की जरूरतों के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं।
3. नियुक्त सुरक्षाकर्मियों का भुगतान न्यूनतम मजदूरी की दर जो उस समयावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा लागू है, पर किया जावेगा।
3. निविदाकार को पर्याप्त संख्या में ऐसे सुरक्षा कार्मिक तैनात करने होंगे जो संस्थान पीडीपीएम आईआईआई टीडीएम जबलपुर की आवश्यकताओं के अनुरूप, ऐवजी (Reliever) एवं पर्याप्त निगरानी एवं पर्यवेक्षण (निरीक्षण) के प्रावधानों के साथ वरीयता - आधुनिक तकनीकी उपकरणों जैसे वाकी टाकी या मोबाइल फोन इत्यादि के उपयोग से) चौबीसों घंटे सेवाएं दे सकें।
4. अगर सुरक्षा एजेंसी अतिरिक्त समयावधि के लिये किसी सुरक्षा कर्मी को तैनात करती है तो उसके ओवर टाइम का भुगतान या कोई अन्य भुगतान एजेंसी द्वारा खुद किया जावेगा।

5. यदि नियमित अतिरिक्त मानव दिवसों की आवश्यकता होती है तो, एजेंसी को 3 दिन पहले इसकी सूचना दी जावेगी और अतिरिक्त मानवदिवसों का भुगतान बोली गई दरों के अनुपात में (Pro-rata basis) भुगतान किया जाएगा।
6. एजेंसी द्वारा कोई भी विकलांग, शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ या नाबालिग (In terms of Age) व्यक्ति को सुरक्षा कर्मों के तौर पर तैनात नहीं किया जाएगा।
7. ठेकेदार, उसके द्वारा तैनात सुरक्षा कर्मियों बाबत निम्न प्रावधानों का पालन करने हेतु उत्तरदायी/ भागी होगा।
 - i) केंद्र या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों के अनुसार बीमा लाभ।
 - ii) केंद्र सरकार द्वारा उस प्रकार के कर्मियों हेतु लागू कानून के अनुसार बोनस लाभ।
 - iii) ठेकेदार को, चिकित्सा व्यय व सुविधाओं, दुर्घटना हितलाभ, कामगारों को मुआवजा, न्यूनतम मजदूरी, श्रम शुल्क (Labour Cess), अन्य कल्याणकारी उपायों एवं अन्य वैधानिक आवश्यकताओं बाबत केंद्र/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर लागू किए गए श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन करना होगा।
8. श्रम विभाग या किसी अन्य न्यायालय द्वारा ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी पर, किसी नियम/कानून के उल्लंघन हेतु कोई अर्थदंड लगता है, तो अर्थदंड के भुगतान हेतु ठेकेदार/सुरक्षा एजेंसी भागी होगी अतः तदनुसार उसे स्वयं ही भुगतान करना होगा।
9. ठेकेदार को, संस्थान के अधिकारियों से चर्चा कर, सभी सुरक्षाकर्मियों व निरीक्षकों को उचित रंग की दो जोड़ी वर्दियां, (सेना के रंग व पध्दति को छोड़कर) जो संस्थान द्वारा निश्चित की जाए, अपने स्वयं के व्यय पर प्रदान करनी होगी। साथ ही सुरक्षा कर्मियों हेतु आवश्यक अन्य सामग्री भी जैसे – चमड़े का पट्टा, टोपी, लाइन यार्ड, सीटी, जूते, टार्च, लाठी, भाला, रजिस्टर, बंदूक (केवल बंदूकधारी हेतु) इत्यादि उन्हें स्वयं के व्यय पर प्रदान करनी होगी।
10. सुरक्षा एजेंसी द्वारा वाहन संचालन बावत् उपयुक्त लॉगबुक बनायेगा तथा यह हमेशा वाहन के साथ उपलब्ध रहेगी।
11. नियमित सुरक्षाकर्मों/निरीक्षक के अवकाश पर होने की स्थिति में, ठेकेदार को स्थानापन्न अर्थात् ऐवजी सुरक्षाकर्मों/ निरीक्षक उपलब्ध कराना होगा।
12. वाहन संचालन के लिए निर्धारित 1000 कि.मी. प्रतिमाह में से 500 कि.मी. सुरक्षा सुपरवाइजर के द्वारा इस्तेमाल किया जायेगा बाकि बचा हुआ 500 कि.मी. संस्थान के अधिकारियों के द्वारा पैट्रोलिंग के लिए आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाएगा।
13. वाहन 24 घंटे संस्थान परिसर में उपलब्ध होना चाहिए। संस्थान के बाहर ले जाने के लिए सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।
14. गश्त ड्यूटी हेतु : ठेकेदार एजेंसी द्वारा, रात्रि कालीन गश्त ड्यूटी, सुरक्षाकर्मियों का निरीक्षण या आवश्यकता होने पर, किसी अन्य आपातकालीन ड्यूटी हेतु वाहन (SUV) जैसे स्कॉर्पियो/बोलेरो उपलब्ध कराना होगा। उक्त वाहन अच्छी स्थिति में व मय वैध पंजीयन, रोड टैक्स का भुगतान किया हुआ व अद्यतन बीमाकृत होना चाहिये।

